सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी)/8860

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

***

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 09.04.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऐसे कर्मचारियों को, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों की बाबत पेंशन संबंधी नीतिगत मामलों को प्रशासित करता है। इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा.सं. 57/05/2021-पी&पीडबल्यू(बी) के निर्देशानुसार ऐसा केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारी जो उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 22.12.2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972(अब 2021) के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार, उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी, इन निर्देशों की प्रयोज्यता की जांच करने और निर्णय लेने का उत्तरदायी है।

2. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी पर, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के संबंध में दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा.सं. 57/03/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8361(1) द्वारा निर्देश जारी किए गए थे।

3. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर दिनांक 03.03.2023 के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने से संबंधित अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे थे। तदनुसार, इन मामलों से निपटने के लिए निम्नलिखित एफ़एक्यू जारी किए जा रहे हैं:

क्रम सं.	जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की टिप्पणियां
(i)	दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा. में दो तत्वों पर धन वापसी अपेक्षित है अर्थात (i) एनपीएस के अधीन सरकारी अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ और (ii) उस पर दिया गया ब्याज। जबकि सेवानिवृत्त होने पर निकासी के	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 20.10.2023 के का.ज्ञा. में, यह स्पष्ट किया गया था कि केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो अन्यथा ओपीएस के अंतर्गत कवरेज के पात्र हैं और जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन पर दिनांक 03.03.2023 का

जारी-

	समय अंशदाता के एनपीएस खाते में संचित धन में सरकारी अंशदान की रकम और उस पर प्रतिलाभ एनएसडीएल से सुनिश्चित किया जाएगा, निकासी की तारीख से लेकर कर्मचारी द्वारा वापस करने की तारीख तक ब्याज (सरल या चक्रवृद्धि और दरें जिन पर कंपाउंडिंग की जानी है) की वसूली की दर और रीति स्पष्ट नहीं है।	उपरोक्त का.ज्ञा. लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि, इस मामले में, कर्मचारी पहले ही एनपीएस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर चुका है, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए, यदि वह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 03.03.2023 के का.ज्ञा. के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ को ब्याज सहित वापस करना अपेक्षित होगा। वापस की जाने वाली रकम पर ब्याज की गणना की दर और रीति इस विभाग के दिनांक 29.04.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/34/2001-पी&पीडब्ल्यू(एफ) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी अर्थात पेंशन हितलाभों की प्राप्ति की तारीख से सरकार को धन वापस करने की तारीख तक के लिए ब्याज की गणना, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि(जीपीएफ) पर यथा लागू दर पर और ऐसी रीति में की जाएगी।
(ii)	कार्यालय ज्ञापन में उस तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया गया है जब तक सरकारी अंशदान पर प्रतिलाभ की वसूली की जानी है। क्या यह अधिवर्षिता/सेवानिवृत्त होने की तारीख तक है या एनपीएस से केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमों के अधीन पेंशन में अंतरण की तारीख तक है। यदि प्रतिलाभ की वसूली की तारीख कर्मचारी की अधिवर्षिता/सेवानिवृति की तारीख तक है, तो क्या सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद कर्मचारी द्वारा ली गई Annuity से कोई समायोजन या वसूली की जानी अपेक्षित है या नहीं और यदि हां, तो वसूली/समायोजन करने की रीति क्या है।	
(iii)	आदेश में यह नहीं बताया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को किस तारीख से पेंशन दी जानी है। चूंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सेवानिवृत्त सरकारी अंशदान सहित ब्याज वसूला जाना है, स्पष्टतया पेंशन अधिवर्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से देय हो सकती है। इसे स्पष्ट किया जाए।	सरकारी कर्मचारियों की अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से पेंशन मंजूर की जाती है, अर्थात यदि कर्मचारी 31.01.2023 से अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हुए हों, तो पेंशन अगले दिन अर्थात 01.02.2023 से शुरू हो जाएगी।
(iv)	सेवारत कर्मचारियों के मामले में, एनपीएस से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अधीन पुरानी पेंशन योजना में अंतरण होने पर जीपीएफ खाता खोला जाता है। इस मामले में जीपीएफ	सेवानिवृत्त अधिकारियों को ओपीएस के तहत कवर करने के लिए, उनका जीपीएफ खाता खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

	खाता खोलने पर कार्यालय ज्ञापन में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। चूंकि कर्मचारी का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ वसूल नहीं किया जा रहा है, उनके जीपीएफ खाते में जमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः कर्मचारी का जीपीएफ खाता नहीं खुल सकेगा। इसे स्पष्ट किया जाए।	
(v)	ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने अभी तक एनपीएस के तहत लाभ नहीं लिया है। कार्यालय ज्ञापन में यह बात स्पष्ट नहीं है कि क्या (क) उनका पूरा कोष एनएसडीएल से निकाला जाना है और एनपीएस से निकासी की तारीख पर संचित कोष में प्रतिलाभ सहित उनका हिस्सा सीधे उन्हें वापस किया जाना है या उनका अंशदान खोले जाने वाले जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा और फिर ब्याज सहित बंद कर दिया जाएगा।	यदि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा संचित धनराशि नहीं निकाली गई है, तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी रकम पर किसी प्रकार के ब्याज का प्रश्न ही नहीं उठता।
(vi)	ऊपर(v) में उल्लिखित मामलों की बाबत, जहां तक सरकारी अंशदान और उस पर मिलने वाले प्रतिलाभ का संबंध है, इसे सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है। इस मामले में कोई ब्याज सम्मिलित नहीं है। इसे स्पष्ट किया जाए।	

(एस.चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,

(मानक सूची के अनुसार)